

झाँसी नगर निगम, झाँसी ।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना

निर्माण कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	27.02.2026 3.00 PM	19.03.2026 - 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	19.03.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	19.03.2026 3:30 PM	

नोट -

- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।


मुख्य अभियन्ता


नगर आयुक्त

पत्रांक :- 4539/जनकार्य वि०/न०नि०/2025-26

दिनांक :- 24.02.2026

प्रतिलिपि :-

- विज्ञापन व्यवस्थापक, **अमर उजाला/स्वतंत्र जात**....., दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्त दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
- सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
- प्रमारी नाजिर, नगर निगम, झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- पी०ए०, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
- आई०टी०एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।


मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी ।

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना

निर्माण कार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	27.02.2026 3.00 PM	19.03.2026 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	19.03.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	19.03.2026 3:30 PM	

कार्य का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	वार्ड नं० 03 रामराजा फेस-1 में प्रयाश से रोड तक, के०एन० सिंह से भजन साहू तक, सुजान सिंह के सामने, लक्ष्मी नारायण के बगल में, गुलन के बगल में, अमित वर्मा के पास नाली, पुलिया एवं एपैक्स निर्माण का 370 कार्य।	405881.00	410.00+18.00 % GST	40600.00	दो माह	डी श्रेणी
2.	वार्ड नं० 06 में पवन कुमार के पास पुलिया, हर विजय के पास नाली, हरिशंकर से नाले तक नाली, हरिशंकर के सामने नाली, दिलीप से सोहन तक, मुहम्मद सराफतक से संजय आनन्द तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	442435.00	445.00+18.00 % GST	44300.00	दो माह	डी श्रेणी
3.	वार्ड नं० 07 में जय माँ दुर्गा ज्वैलर्स के सामने, हरदयाल से प्रिंस तक, प्रदीप के पास, श्मशानघाट में गेट से नाले तक नाली, पुलिया मरम्मत का कार्य।	417174.00	420.00+18.00 % GST	41800.00	दो माह	डी श्रेणी
4.	वार्ड नं० 10 में श्याम से भैयालाल राजपूत तक, शशिकान्त मिश्रा के मकान से नाले तक नाली, पुलिया एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	498942.00	500.00+18.00 % GST	49900.00	दो माह	डी श्रेणी
5.	वार्ड नं० 11 में नफीस कुरैशी से रामू होते हुए रविकान्त नगले तक एवं उत्तम सोनकर से मुकेश तक ठाकुर साव से राजपू डिक्स तक एवं खटीक समाज मन्दिर के सामने एवं धरमेन्द्र गारमेन्ट्स वालों से अरविन्द तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	844036.00	845.00+18.00 % GST	84500.00	तीन माह	सी श्रेणी
6.	वार्ड नं० 12 में गीता मन्दिर के पास, विजय सिंह यादव के पास, मुहम्मद जाहिर से धर्मेन्द्र पाल तक, उदय कुमार माहौर के पास नाली, पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	421439.00	425.00+18.00 % GST	42200.00	दो माह	डी श्रेणी
7.	वार्ड नं० 13 के अन्तर्गत कोछाभांवर में कल्लू खाँ की दुकान से महावीरन मन्दिर तक नाली पुलिया एवं सड़क का मरम्मत कार्य।	1241226.00	1245.00+18.00 % GST	124200.00	तीन माह	बी श्रेणी
8.	वार्ड नं० 17 नन्दनपुरा के अन्तर्गत रघुवीर के मकान से महेश मिस्त्री के मकान एवं अवधेश के मकान व श्याम सुन्दर व गोलू के मकान एवं मंगल के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	834448.00	835.00+18.00 % GST	83500.00	तीन माह	सी श्रेणी
9.	वार्ड नं० 18 के अन्तर्गत नेहरू पार्क के सामने एवं दीपक राय से प्रीतम डी०जे० तक एवं पशु चिकित्सालय के पीछे एवं पानी की टंकी के आमने-सामने एवं अन्य स्थानों पर नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	838536.00	840.00+18.00 % GST	83900.00	तीन माह	सी श्रेणी
10.	वार्ड नं० 28 में गुरुद्वारा लंगर हॉल के सामने, टाइगर झां से राजेश वर्मा तक, देशी कलारी के पास, हीरापुरा में कल्लू परिहार के पास कंजरवेन्सी एवं एपैक्स निर्माण का कार्य।	401071.00	405.00+18.00 % GST	40200.00	दो माह	डी श्रेणी
11.	वार्ड नं० 38 के अन्तर्गत लतीफ के मकान से अफरोज के मकान तक एवं मुफली सिद्दीकी से आकिब के मकान तक एवं कल्लू कुशवाहा के मकान से अजहर कुली के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	1028956.00	1030.00+18.00 % GST	102900.00	तीन माह	बी श्रेणी

12.	वार्ड नं0 40 में साई मन्दिर से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया होते हुए धन्नों के चौराहा तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	693065.00	695.00+18.00 % GST	69400.00	दो माह	ऐ श्रेणी (एच0एम0पी0)
13.	वार्ड नं0 41 नन्दनपुरा आवास विकास के अन्तर्गत आशीष सक्सेना जी के मकान से परमार किराना स्टोर होते हुए कृष्ण कुमार के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	842760.00	845.00+18.00 % GST	84300.00	तीन माह	सी श्रेणी
14.	वार्ड नं0 45 के अन्तर्गत शिवमन्दिर के सामने से पटुवाई जी तक एवं मडिया महादेव मन्दिर के पास एवं रवि कुमार से आशीष गुप्ता तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	823294.00	825.00+18.00 % GST	82400.00	तीन माह	सी श्रेणी
15.	वार्ड नं0 48 के अन्तर्गत राहुल महाजन के मकान से फकीरे तागे वाले तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	1019395.00	1020.00+18.00 % GST	102000.00	तीन माह	बी श्रेणी
16.	वार्ड नं0 50 के अन्तर्गत छोटू जावेद के मकान से हनुमंत सिंह नगरिया के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स निर्माण का कार्य।	376864.00	380.00+18.00 % GST	37700.00	दो माह	डी श्रेणी
17.	वार्ड नं0 52 के अन्तर्गत नन्ना बारी के मकान से सहबाज के मकान तक एवं अंसारी के मकान से सत्तार के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	739362.00	740.00+18.00 % GST	74000.00	तीन माह	सी श्रेणी
18.	वार्ड नं0 53 बाहर खण्डेराव गेट में शान्ति देवी से शान्ति निवास होते हुए कन्ट्रोल की दुकान तक नाली पुलिया सड़क मरम्मत का कार्य।	813732.00	815.00+18.00 % GST	81400.00	तीन माह	सी श्रेणी
19.	वार्ड नं0 57 सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड में शीतला दूध भण्डार से चिराग मेडिकल स्टोर होते हुए शिवम् नर्सिंग होम तक एवं संजय निगम से डा0 पालीवाल के मकान तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	801354.00	805.00+18.00 % GST	80200.00	दो माह	ऐ श्रेणी (एच0एम0पी0)

नोट-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झॉंसी की वेबसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झॉंसी में निहित होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- प्रत्येक निविदादाता रू0 100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
- कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश सं0 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
- जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे-खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम, झॉंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झॉंसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।

19. ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर प्रश्नगत कार्य की निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
20. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है, निर्धारित 90 दिनों से अधिक दिनों की बोली वैधता प्रस्तुत करने वाली फर्मों की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> से लोड किया जा सकता है।
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. शासनादेश सं० 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
26. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
27. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे प्रथम न्यूनतम निविदादाता द्वारा क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
28. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
29. कार्य के साथ निर्गत कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
30. नगर निगम मा०सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं० 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
31. निविदादाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर परएस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
32. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
33. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी निविदादाता को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता निविदादाता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
34. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
35. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
36. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी अथवा वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
37. मा० एन०जी०टी० के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कर्ता सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदुषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
38. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
39. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
41. प्रकाशित निविदा में उल्लेखित कार्यों में यदि विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित हो तो निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण/ए-श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
42. सर्वनिम्न निविदादाता को कार्यालय से स्वीकृति पत्र निर्गत होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को नियत तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्या विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस जारी कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

43. पी0डब्लू0डी0 के Model Bidding Document for construction of roads के सेक्शन-2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि **“if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit.”** के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 4539/जनकार्य वि0/न0नि0/2025-26

दिनांक :-24/02/2026

प्रतिलिपि :-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला/दैनिक स्वतंत्र बात, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्त दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये।
3. प्रभारी नाजिर, नगर निगम, झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
5. आई0टी0एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी।